

(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE – EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS)
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No. F.14(8)/LA-07/LJ/07/534

Dated the 26th March, 2007

NOTIFICATION

F.14(8)/LA-07/534 - The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt.Governor of Delhi on the 23rd March, 2007 and is hereby published for general information:-

THE DELHI APPROPRIATION (NO.1) ACT, 2007

(Delhi Act 4 of 2007)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 21st March, 2007)

[23rd March, 2007]

An Act to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2006-2007.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No.1) Act 2007.

Issue of

Rs.8025,61,46,000/-

from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2006-2007.

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of rupees eight thousand twenty five crore sixty one lakh and forty six thousand towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2006-2007 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said period.

*Uday Singh
3/4/07
Secy. Gulshan*

THE SCHEDULE
(See Section 2 and 3)

(Rs. in thousands)

(Rs. in thousands)					
DEMAND NO.	SERVICES AND PURPOSES	SUMS NOT EXCEEDING			
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total	
1	2	3	4	5	
1	Legislature	Revenue	100	1100	1200
2	General Administration	Revenue	100	8077	8177
3	Administration of Justice	Revenue	0	76843	76843
4	Finance	Revenue	100	200	300
6	Education	Revenue	2100	740	2840
		Capital	145300	0	145300
7	Medical and Public Health	Revenue	314648	0	314648
		Capital	19000	0	19000
8	Social Welfare	Revenue	319185	13	319198
		Capital	800	0	800
9	Industries	Revenue	54203	10	54213
10	Development	Revenue	1560052	0	1560052
		Capital	99480	1000	100480
11	Urban Development and Public Works	Revenue	3133145	0	3133145
		Capital	6874429	1421	6875850
	Public Debt.	Revenue	0	801700	801700
		Capital	0	66837400	66837400
12	Loans to Government Servants	Capital	5000	0	5000
Total			12527642	67728504	80256146



(Signature)
(Rakesh Syal)

Joint Secretary (Law, Justice and Legislative Affairs)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-4 में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
8 वां तल, सी विंग, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली

संख्या फा0 14(8)/एल.ए.-07/एल.जे/07/534

दिनांक 26 मार्च, 2007

अधिसूचना

संख्या फा0 14 (8)/एल. ए.-07/एल.जे/07/534 - उपराज्यपाल, दिल्ली की दिनांक 23 मार्च, 2007 को मिली अनुमति के पश्चात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-

दिल्ली विनियोग (संख्या 1) अधिनियम, 2007
(2007 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा द्वारा 21 मार्च, 2007 को यथापारित)

[23 मार्च, 2007]

वर्ष 2006-2007 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए अधिनियम ।

इसे भारत गणराज्य के अठारहवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए :-

संक्षिप्त शीर्षक |

(1) इस अधिनियम को विनियोग दिल्ली (संख्या-1) अधिनियम, 2007 कहा जाए।

8025,61,46,000/- रुपयों का (2) वर्ष 2006-2007 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त |

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए आठ हजार पच्चीस करोड़ इकसठ लाख छियालिस हजार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2006-2007 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी।

विनियोजन |

(3) इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

24/4
31/4/07

45(4)

12/4/07

12/4/07

अनुसूची
(खण्ड 2 व 3 देखें)

(रुपये हजारों में)

राशी इससे अधिक नहीं

मांग संख्या	सेवायें एवं उद्देश्य	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	संचित निधी पर भारित	जोड़
1	2	3	4	5
1	विधान मंडल	राजस्व 100	1100	1200
2	सामान्य प्रशासन	राजस्व 100	8077	8177
3	न्याय प्रशासन	राजस्व 0	76843	76843
4	वित्त	राजस्व 100	200	300
6	शिक्षा	राजस्व 2100	740	2840
		पूंजी 145300	0	145300
7	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	राजस्व 314648	0	314648
		पूंजी 19000	0	19000
8	समाज कल्याण	राजस्व 319185	13	319198
		पूंजी 800	0	800
9	उद्योग	राजस्व 54203	10	54213
10	विकास	राजस्व 1560052	0	1560052
		पूंजी 99480	1000	100480
11	शहरी विकास एवं लोक निर्माण	राजस्व 3133145	0	3133145
		पूंजी 6874429	1421	6875850
	सार्वजनिक ऋण	राजस्व 0	801700	801700
		पूंजी 0	66837400	66837400
12	सरकारी कर्मचारियों के लिए ऋण	पूंजी 5000	0	5000
	जोड़	12527642	67728504	80256146

राकेश स्याल
(राकेश स्याल)

संयुक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)